न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 12/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मृतक मोहनलाल के का0मु0 1. लीलादेवी पत्नी मोहनलाल 2. अर्जुन पुत्र मोहनलाल 3. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल 4. उमा पुत्री मोहनलाल 5. दीपा पुत्री मोहनलाल 6. नीतू पुत्री मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. पन्नालाल पुत्र जस्साराम जाति माली निवासी बागेलाव की पाल, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे, श्री श्याम गहलोत अधिवक्तागण प्रतिवादी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 07/04/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, पटवार हल्का सोजत चक प्रथम, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 4278 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म मेहन्दी की राजस्व रेकर्ड में सामलाती कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिस पर वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी अपने 1/2—1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 21.03.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/357 दिनांक 03.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.02.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.02.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, पटवार हल्का सोजत चक प्रथम, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 4278 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म मेहन्दी की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पन्नालाल पुत्र जसाराम कौम—माली सा0 देह खातेदार	4278	0.12	मेहन्दी	2.88
		01	0.12	—	2.88
2.	अर्जुन पुत्र मोहनलाल उमा पुत्री मोहनलाल दिपा पुत्री मोहनलाल नीतू पुत्री मोहनलाल महेन्द्र पुत्र मोहनलाल लीला पत्नि मोहनलाल कौम— माली सा0 देह खातेदार	4278/1	0.12	मेहन्दी	2.88
		01	0.12	—	2.88

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 07/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

मृतक मोहनलाल के का0मु0
1. लीलादेवी पत्नी मोहनलाल
2. अर्जुन पुत्र मोहनलाल
3. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल
4. उमा पुत्री मोहनलाल
5. दीपा पुत्री मोहनलाल
6. नीतू पुत्री मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र जस्साराम जाति माली निवासी बागेलाव की पाल, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वादः– 12/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी तथा श्री कैलाश दवे, श्री श्याम गहलोत अधिवक्तागण प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, पटवार हल्का सोजत चक प्रथम, भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत तहसील सोजत के खसरा नम्बर 4278 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म मेहन्दी की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पन्नालाल पुत्र जसाराम कौम–माली सा0 देह खातेदार	4278	0.12	मेहन्दी	2.88
		01	0.12	–	2.88
2.	अर्जुन पुत्र मोहनलाल उमा पुत्री मोहनलाल दिपा पुत्री मोहनलाल नीतू पुत्री मोहनलाल महेन्द्र पुत्र मोहनलाल लीला पत्नि मोहनलाल कौम– माली सा0 देह खातेदार	4278/1	0.12	मेहन्दी	2.88
		01	0.12	–	2.88

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07/04/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.